उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-08/2023/95(1)/दो-2-2023-28/2(45)/2022
लखनऊः दिनांकः 01 फरवरी, 2023

संयुक्त सचिव,
इरला चेक (वेतन पची प्रकोष्ठ),
उ0प्र0 शासन।

श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह,पी0सी0एस0, अपर जिलाधिकारी, कानपुर नगर, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक **31.01.2023** को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त जी0आई0एस0 प्रपत्रों की तीन प्रतियाँ मूलरूप में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अग्रेतर कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से नियुक्ति अनुभाग-2 को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोक्त।

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपिः- श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह,पी.सी.एस,से.नि, पता-म0नं0-बी-36,अग्निपथ कालोनी, टी0बी0 सप्रू मार्ग,सिविल लाइन्स,प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-08/2023/95(11)/दो-2-2023-28/2(45)/2022
लखनऊः दिनांकः 01 फरवरी, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह,पी0सी0एस0, अपर जिलाधिकारी, कानपुर नगर, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक-**31-01-2023** को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88, दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- विशेष सचिव,इरला चेक(वेतन पर्ची अनुभाग),उत्तर प्रदेश शासन।
2- श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह,पी.सी.एस,से.नि, पता-म0नं0-बी-36,अग्निपथ कालोनी, टी0बी0 सप्रू मार्ग,सिविल लाइन्स,प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।